किसान मुक्ति संसद

किसानों की कर्जमुक्ति बिल / विधेयक 2017

किसानों को कृषि उत्पाद के आश्वासित मूल्य का अधिकार विधेयक, 2017

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति

All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) was formed in late June 2017, in response to the spontaneous struggles of farmers in different states like Maharashtra and Madhya Pradesh, for debt relief and remunerative prices. This is the first such broad based alliance in India at the national level, for securing farmers' rights on two fronts to begin with.

Published by:
All India Kisan Sangharsh Samanvya Samiti (AIKSSC)
W 127, Greater Kailash II, New Delhi 110048

Design and Layout: Amit Kumar

Copies of this booklet will be available at:
All India Kisan Sangharsh Samanvya Samiti (AIKSSC)
W 127, Greater Kailash II, New Delhi 110048
Email: aikscc1@gmail.com

विषयसूची

1. किसानों की कर्जमुक्ति बिल / विधेयक 2017

... *03-25*

2. किसानों को कृषि उत्पाद के आश्वासित मूल्य का अधिकार विधेयक, 2017

... *26-51*

किसानों की कर्जमुक्ति बिल / विधेयक 2017 / फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट बिल /

एक विधेयक

ऋणग्रस्त किसानों को कर्जे से तत्काल माफी प्रदान करने के लिए और ऐसे किसान जो व्यावसायिक बैंकों के यहां ऋणग्रस्तता के चलते आज भी आपदा/पीड़ा झेल रहे हैं उन्हें निरन्तर राहत प्रदान करने के लिए विधेयक प्रस्तावित है। इसके तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा जो एवार्ड पारित करे और उपयुक्त कदमों के माध्यम से ऐसे किसानों की परेशानियों को तथा उससे जुड़े मसलों को सम्बोधित करने के लिए उचित कदमों की सिफारिश करे।

उद्देश्य विवरण एवं कारण

चूंकि सम्पूर्ण राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभुता को लेकर किसानों के योगदान का ऋणी है;

और चूंकि खेती में पैदा माल की कीमतों की नीतिगत कदम के तौर पर कम रखा गया है जिसमें मार्केटिंग पर लगे तमाम प्रतिबंध भी शामिल होते हैं जिसमें किसानों की आय और उनकी पहले से चली आ रही ऋणग्रस्तता पर और प्रतिकूल असर पड़ता है;

और चूंकि लागत मूल्यों को नियंत्रित करने में, समग्रता में संस्थागत कर्जे की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रभावी फसल बीमा योजनाओं और आपदाकालीन राहत कदमों पर अमल करने में और आध ारभूत ढांचा निर्माण करने में असफलता दिखायी पड़ती है जिसने किसानों के घाटों को और फिर कर्जों को और बढ़ाया है और चूंकि राष्ट्र के कुछ जिले और फसलें कृषिजन्य संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं जिसने तमाम किसानों को आर्थिक रूप से तबाह किया है और कुछ मामलों में उसकी परिणति किसानों की आत्महत्या में हुई है;

और चूंकि किसानों पर लदे कर्जों की वसूली के लिए अदालतों, न्यायाधिकारियों व अन्य प्राधिकारियों के पास तमाम मुकदमें और अन्य कार्यवाहियां शुरू की गयी हैं और चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीविकोपार्जन के अधिकार को सुरक्षित रखना आवश्यक है;

और चूंकि इसलिए यह उचित है कि जो किसान कर्ज के कारण परेशानी में हैं उन्हें त्वरित राहत दिलाया जाय तथा जिसके तहत उन्हें फौरी राहत प्रदान करने के अलावा एक आयोग का गठन किया जाए जिसके पास निर्णय करने, अवार्ड पारित करने और ऋणग्रस्त इस तरह के किसानों की शिकायतों व परेशानियों को दूर करने के लिए सुलह समझौते के तहत उससे जुड़े सभी अनुशंगी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार हो;

भारतीय संसद द्वारा गणतंत्र के 68 वें वर्ष में कानून का रूप देने हेतु :

अध्याय 1

प्रारंभिक : परिभाषाएं और व्याख्याएं

1. (1). इस अधिनियम को किसानों की कर्जमुक्ति बिल/विधेयक 2017 कहा जाएगा।
(2). वह ऐसी तारीख को प्रभाव में आएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार अपने आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से सूचित करेगी और इस बारे में स्पष्टता प्रदान करेगी।
(3). यह समूचे भारत पर लागू होगा।

नाम, दायरा और शुरुआत

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ अलग स्पष्ट करेगा।
क. ''कृषि'' में शामिल होगी बागबानी, खेती और चिकित्सकीय पौधों की उपज, फसलें और अंतवर्तीय फसलें/ इंटरक्रॉप, फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, लघु जंगल उत्पाद का संग्रहण, फूल, चरने के लिए उपयुक्त घास, पेड़ या मिट्टी पर किसी भी किस्म की खेती, नर्सरी का संचालन, पशुधन/मवेशी का लालन–पालन और उनकी देखभाल – जिसमें शामिल हैं मछली, सीपदार कीड़ों के विविध प्रकार, मधुमक्खियां, रेशम का कीड़ा, मुर्गीपालन, बत्तख, जानवर या सूअर और कृषिसम्बन्धी गतिविधियों के लिए या कृषि के अन्य कामों के लिए जमीन का उपयोग।
ख. ''कृषि विशेषज्ञ'' का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी शैक्षणिक योग्यता और स्थापित शैक्षणिक रेकॉर्ड के बल पर उसमें शामिल किया जाता है ;
ग. ''आयोग'' का अर्थ धारा 4 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग /नेशनल फार्मर्स डेब्ट रिलीफ कमीशन है;
घ. ''निजी ऋणदाता'' का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पैसे उधार देता है; भले ही लाइसेन्स के अन्तर्गत हो या न हो, जिसमें उसके वारिस, उसके कानूनी वारिस, सम्पत्तिभागी, कोआपरेटिव सोसायटी और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो शामिल है;
ङ. ''ऋण'' मतलब ऐसा कोई भी देयता, भले ही वह सुरक्षित या असुरक्षित हो, जो प्रस्तुत अधिनियम के लागू होते वक्त या उसके पहले से किसान से प्राप्य हो या राज्य के किसी प्रभावित इलाके में किसी विशिष्ट आपदा के सन्दर्भ में उभरी हो जिसे सरकार द्वारा अपने गैजेट में अधिसूचित किया गया हो कि क्या वह एक अनुबंध के तहत, या किसी आज्ञप्ति के तहत या किसी अदालत या ट्रिब्युनल/अधिकरण के आदेश के तहत देनी/चुकाने योग्य हो और जिनमें शामिल हो,
– ऐसी कोई भी रक़म जो देनी हो
– एक संस्थागत ऋणदाता को;
– एक निजी ऋणदाता को ;
– ऐसी कोई भी रकम जो किसान द्वारा ऋणदाता से उधार ली गयी हो ;
इसमें ऐसी कोई भी ऋणराशि शामिल नहीं होती जिसे किसान ने व्यावसायिक मकसद के लिए या कृषि तथा सम्बधित व्यावसायिक कामों के अलावा विलासिता के लिए ली हो, ताकि उसकी आय बढ़ सके।
च. ''जिला'' का मतलब एक राजस्व जिला ;
छ. ''आपदा प्रभावित इलाका'' का अर्थ है राजस्व जिला या जिले या राज्य का ऐसा हिस्सा जिसे राज्य द्वारा धारा 7 के अन्तर्गत, आयोग की सिफारिश के तहत घोषित किया हो; जिसमें प्राकृतिक आपदा कीमतों का गिरना तथा अन्य कारणों से फसलों की बरबादी जिसमें नकली लागत की आपूर्ति शामिल होगी।
ज. ''आपदा प्रभावित फसल'' का मतलब राज्य की ऐसी कोई फसल या फसलें, जिसे धारा 7 के तहत आयोग की सिफारिश के तहत – प्रस्तुत अधिनियम हेतु – सरकार ने घोषित किया हो; जिसमें प्राकृतिक आपदायें कीमतों का गिरना व नकली लागत की आपूर्ति समेत अन्य कारकों से फसलों की विफलता शामिल है।
झ. ''आपदा प्रभावित किसान'' का मतलब ऐसा किसान जिसे आयोग ने घोषित किया हो और जिसमें प्रस्तुत अधिनियम के तहत खेत मजदूर भी शामिल हो;
ञ. ''सूद की उचित दर'' का मतलब सूद की ऐसी दर जिसे आयोग ने प्रस्तुत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित किया हो ;
ट. ''किसान'' का मतलब ऐसा व्यक्ति जो फसल उगाने की आर्थिक और/या जीवनयापन की गतिविधि में सक्रिय रूप से लगा हो, जो जमीन की मिल्कियत के साथ या उसके बिना भी अन्य प्राथमिक कृषिगत जिंसों को

पैदा करता हो। इसमें शामिल हो सकते हैं सभी कृषि कार्य में संलग्न धारक, खेतिहर, खेत मजदूर, बंटाईदार, पट्टेदार, मुर्गी और मवेशी पालन करने वाले, मछुआरे, मधुमक्खियों पालने वाले, चरवाहे, गैरकॉर्पोरेट वृक्षारोपक/बागान के मालिक और बागान के मजदूर तथा जंगल के लघु उपज के संग्राहक; ऐसे स्वयंसहायता समूह जो सामूहिक तौर पर मिल्कियत वाली जमीन पर या पट्टेपर ली गयी जमीन पर खेती करते हैं।

ठ. ''वित्तीय संस्थान'' का अर्थ है ऐसा कोई भी वित्तीय संस्थान जिसे उपरोक्त समयावधि के दौरान किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम के तहत गठित किया गया हो तथा जो सरकार की मिल्कियत का हो और उसी के द्वारा नियंत्रित हो ;

ड. ''सरकार'' का मतलब है केन्द्र सरकार;

ढ. ''संस्थागत कर्जदाता'' का अर्थ है स्टेट बैंक आफ इंडिया या अन्य सहायक बैंक जो स्टेट बैंक आफ इंडिया /सबसिडीअरी बैंक/एक्ट 1959 की धारा 2 की उपधारा (क) के अन्तर्गत गठित हो या कोई अन्य अनुसूचित बैंक जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोआपरेटिव सोसायटीज भी शामिल हों ;

ण. ''सूद/ब्याज'' का मतलब ऐसी कोईभी भुगतानयोग्य राशि जो उधार ली गयी मूल राशि से या व्यय किए गए धन सम्बन्धी अनुग्रह से अधिक हो, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसी राशि सूद/व्याज कहलाएगी, भले ही उसे दस्तावेजों या अनुबंध में साफ तौर पर उल्लेखित नहीं किया गया हो

त. ''सदस्य'' का मतलब आयोग का सदस्य और जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं ;

थ. ''दंडात्मक सूद'' का मतलब ऐसी कोई भुगतान योग्य राशि जो कर्जे पर सूद से अधिक हो;

द. ''निर्धारित'' का मतलब इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित;

ध. ''मूलधन राशि'' का मतलब ऐसी राशि जो सबसे पहले प्रदान की गयी हो, या जो बाद में अग्रिम राशि के तौर पर दी गयी हो, जिसमें किसी सूद को पूंजी के तौर पर मानने की शर्त के बावजूद और इसके बावजूद कि ऋण को चुकता किया गया हो, भले ही उस किसान या उसके वारिसों, संपत्तिभागियों या कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उनकी तरफ से सक्रिय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और उसी देनदाता या उसके वारिसों, संपत्तिभागियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उसकी तरफ से सक्रिय किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की गयी हो ;

न. ''सेक्रेटरी'' का मतलब धारा 4 की उपधारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त आयोग का सचिव

अध्याय 2

तत्काल ऋण राहत

3. (1). प्रत्येक किसान जिसमें धारा 2 में परिभाषित सभी श्रेणियां शामिल हैं 20 नवम्बर 2017 तक बैंक की तरफ से लिए गए बकाया संस्थागत कर्जे की समूची राशि को तत्काल और बिनाशर्त छूट का हकदार होगा ;

(2). ऐसे किसान जिन्होंने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उपधारा 1 के तहत कट ऑफ पीरियड / तय समयावधि में बैंक कर्जे का भुगतान किया है, उनके बैंक खातों में खेत में पैदा फसल के अनुपात में राशि जमा होगी।

(3). ऋणमाफी को एक किश्त में लागू किया जाएगा और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार से कदम उठाएगी कि पात्र सभी किसानों को नया ऋण आगामी मौसम के लिए मिल सके। इन पर ऋण माफी का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4). सरकार सहकारी बैंको से ऋण माफी लागू करने के मद में राज्य सरकार को पर्याप्त फण्ड मुहैया कराएगी।

(5). ऐसे किसान कर्ज जो गैर सांस्थानिक स्रोतों से लिया है, को सरकार द्वारा सुनिश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत कर्जे की अदलाबदली कर उसे बैंक कर्जे में तब्दील कर दिया जाएगा।

(6). सरकार इस तरह अदला–बदली से परिवर्तित ऋण में ऋणमाफी लागू करेगी।

अध्याय 3

किसान ऋण राहत आयोग

4. (1). इस अधिनियम की शुरूआत के तत्काल बाद और धारा 3 को अमल करने के पश्चात सरकार, गैजेट में अधिसूचना के जरिए, ''राष्ट्रीय किसान ऋण सहायता आयोग/द नेशनल फार्मर्स डेब्ट रिलीफ कमीशन'' के नाम से आयोग गठित करेगी, ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों को अमल में लाया जा सके और कार्यों का निष्पादन/निपटारा किया जा सके।

(2). आयोग में नौ सदस्य होंगे, जिनमें होंगे

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय : अध्यक्ष

2. सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, सदस्य

3. कृषिजगत के दो विशेषज्ञ जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक शामिल हैं : सदस्य,

4. किसानों के चार प्रतिनिधि जिसमें किसान यूनियनों के नेता और किसान मुद्दों पर काम करने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं,

5. आर्थिक/कोआपरेटिव क्षेत्र से जुड़ कर काम करनेवाले व्यक्ति : सदस्य

(3). अध्यक्ष और सदस्यों को सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा

(4). ऐसे नामांकनों में देश के अलग अलग इलाकों से समानतापूर्ण प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और जेण्डर का – खासकर उपधारा 2 (3) से (5) के तहत – विशेष ध्यान रखा जाएगा

(5). सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कोई भी सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हों, अपने कार्यों के निष्पादन/निपटारे से जुड़े मसलों को लेकर किसी किस्म के हितों के टकराव का प्रतिनिधित्व न करता हो

(6). सरकार चाहे तो अगर जरूरत पड़े तो तयशुदा तरीके से आयोग की सहायता के लिए सेक्रेटरी तथा अन्य स्टाफ नियुक्त करेगी।

(7). अपने कर्तव्यों को पूरा करने में उपधारा 6 के तहत संदर्भित सेकेटरी और अन्य स्टाफ आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रण के मातहत रहेंगे।

5. (1). आयोग का कार्यकाल पांच साल का होगा :

बशर्ते, अगर जरूरत समझे तो सरकार इस कालावधि को बढ़ा दे और बशर्ते नये आयोग की नियुक्ति के पहले एक साल तक अस्तित्वमान आयोग अतिरिक्त काम को संचालित करता रहे।

(2). कोई सदस्य चाहे तो सरकार को सम्बोधित कर अपने नाम से लिख कर किसी भी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(3). उपधारा 2 या अन्य किसी प्रावधान के तहत आयोग के किसी सदस्य के इस्तीफे के कारण पैदा रिक्ति को इस अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधान के तहत भरा जा सकेगा : बशर्ते नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति की बाकी कालावधि तक ही पद पर बना रहेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।

(4). सरकार चाहे तो किसी सदस्य को हटा सकती है, अगर –

क. उसे दिवालिया/कर्जदार घोषित किया जाए ;

ख. शारीरिक या मानसिक विकलांगता के चलते वह पद पर बने रहने में अक्षम साबित हो :

ग. अगर वह असन्तुलित मन का हो जाता है और सक्षम दायरे के तहत अदालत इसका ऐलान करती है ;

घ. उसे किसी अपराध की सज़ा मिली हो, जो सरकार की राय में नैतिक पतन या वित्तीय अनियमितताओं का मामला हो ;

च. सरकार की राय में उपरोक्त व्यक्ति ने पद पर बने रहने के लिए अपनी आधिकारिक पोजिशन को इस्तेमाल किया हो जो एक तरह से सार्वजनिक हित के खिलाफ हो : बशर्ते कार्रवाई को आगे बढ़ाने के पहले उस व्यक्ति को अपना पक्ष सुनाने का अवसर प्रदान किया जाए ।

(5). अपनी कार्रवाइयों का संचालन करने के लिए आयोग अपनी प्रणाली को ही नियमित करेगा।

(6). अध्यक्ष और सदस्यों की तनख्वाह और भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते निर्धारित होंगी।

6. (1). आयोग के पास ऐसे सभी अधिकार होंगे जो अधिनियम के उददेश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है और विशेषकर :

क. धारा 3 के अन्तर्गत तत्काल कर्जा सहायता लागू करने की देखरेख करने हेतु , जिसमें यह बात भी शामिल होगी कि वह इस मसले पर सरकार से साधारण एवं विशिष्ट जानकारी हासिल करे ;

ख. इस अधिनियम की धारा 3 के तहत तत्काल कर्जा सहायता लागू करने हेतु किसानों से प्रस्तुत शिकायतों को स्वीकार करना और आयोग द्वारा सुनिश्चित सामान्य प्रणाली के जरिए उनका प्रकियायन /प्रासेसिंग/ करके हर ऐसे मामले में आदेश देना और उनका हल करना ;

ग. अपने आप से संज्ञान लेकर या आवेदन मिलने पर सरकार से सिफारिश करना कि वह जिस तरह उचित समझे उस तरह जांच करे, भले ही उसके लिए सक्षम बाहरी विशेषज्ञों को बुलाना पड़े और सरकार द्वारा निध र्ारित सामान्य दिशानिर्देशों के तहत, वह तय करे कि वह किसी विशिष्ट जिला या जिलों को या उनके किसी हिस्से को फसल या फसलों से जनित आपदा प्रभावित इलाका घोषित करे या आपदा प्रभावित फसल घोषित

करे, जैसे कि स्थिति हो ; और आवेदन मिलने पर किसी किसान को उचित जांच के बाद तथा नियमों के अनुसार आपदा प्रभावित किसान घोषित करे ;

घ. संस्थागत कर्जदाताओं से इतर कर्जदाताओं के मामले में सूद की न्यायोचित दर तथा कर्जे का उचित स्तर तय करे, ताकि आयोग जिसे न्यायपूर्ण और तार्किक समझता हो उसका भुगतान हो सके, उस किसान द्वारा जिसे आपदा प्रभावित घोषित किया गया हो या जो ऐसे इलाके में रहता हो या जहां किसी फसल को धारा 7 के अन्तर्गत आपदा प्रभावित घोषित किया गया हो ;

च. भविष्य में किसानों को कर्जे की राहत प्रदान करने के दायरे और तरीके के बारे में सरकार से सिफारिश करना ;

छ. सरकार से सिफारिश करना कि वह समूचे आंशिक कर्जे को अपना ले और कर्जे के प्रभाव से किसानों को मुक्त कर दे ;

ज. आपदाग्रस्त किसानों के गैरसांस्थानिक कर्जे की अदलाबदली के बारे में प्रणालियों को लेकर सरकार से सिफारिश करना ;

झ. सरकार से सिफारिश करना कि वह ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दे जैसी कि जरूरी हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों की कर्जे की भविष्य की जरूरतों को ऐसी एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जा सके, जैसे कि निर्धारित की जाएं ;

ट. किसानों की ऋणग्रस्तता को लेकर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना ; और

ठ. ऐसे अन्य कार्यों को अंजाम देना और ऐसे अधिकारों पर अमल करना जैसे कि निर्धारित हों ।

(2). उन कर्जदाताओं को जो कि संस्थागत कर्जदाता से भिन्न हो, उन किसानों के मामले में जो कि उपधारा (घ) में उल्लेखित है, को आदेश जारी करना;

(क) फसलों की प्रकृति एवं फसल बुकसान को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कर्जों को कम से कम 1 वर्श के लिए जो कि तीन वर्श से अधिक न होगा स्थगित रखना ;

प्रतिबंध यह है कि ऐसे आदेश उपधारा (1) के तहत पारित अवार्ड एवं निर्देश के तहत होंगे।

(ख) किसानों द्वारा कर्जदाता से लिए गए ऋण से संस्थागत ऋण में बदलने की प्रक्रिया किसानों की तरफ से प्रारम्भ करना तथा उन्हें सुविधाजनक बनाना जिसमें ब्याज भुगतान की जिम्मेदारी वहन करना सरकार द्वारा हो;

(3). आयोग द्वारा उपधारा एक के उपनियम डी के अन्तर्गत पारित अधिनिर्णय/एवार्ड अंतिम होगा, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(4). उपधारा 1 के उपनियम डी के अन्तर्गत आयोग के अधिनिर्णय/एवार्ड को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908/सेन्ट्रल एक्ट 5, 1908/के प्रावधानों के तहत अमली जामा पहनाया जाएगा या वह किसी दीवानी अदालत की आज्ञप्ति हो। और उसी तर्ज पर, कर्जदाता के पास कर्ज से जुड़े टाइटल डीड/नाम दस्तावेज/ या अन्य दस्तावेजों को किसान को विशिष्ट कालावधि में लौटाया जाएगा। आयोग के अधिनिर्णयों को तीस दिन की सुनिश्चित कालावधि में ही अमल में लाया जाएगा या जैसा कि हर अधिनिर्णय में स्पष्ट किया गया हो। किसान चाहे तो दीवाणी अदालत से कार्यान्वयन आज्ञप्ति/हुकूमनामा हासिल कर सकते हैं, अगर प्रतिवादी पक्ष समय सीमा का पालन नहीं करता है।

(5). आयोग के पास, इस अधिनियम के तहत मिले अधिकारों को अमल में लाने के मकसद से, निम्नलिखित मामलों के सन्दर्भ में एक दीवाणी अदालत के सभी अधिकार मौजूद होते हैं जब वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908/सेन्ट्रल एक्ट 5, 1908/ के तहत एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा होता है, मसलन :

क. किसी व्यक्ति को बुलवाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और उसे शपथ दिला कर उसकी जांच करना ;

ख. कर्जदार किसान को लेकर किसी भी किस्म की नोटिस जारी करने का विरोध करते आदेश जारी करना या उसके खिलाफ किसी भी किस्म की दंडात्मक कार्रवाई का विरोध करना या किसी भी रूप में कर्जदार की सार्वजनिक बदनामी – जो फसलों के सम्बन्ध में हो या आपदाग्रस्त इलाकों के निवासी होने के चलते हो – की मुखालिफत करना;

ग. किसी भी दस्तावेजों की खोज और उसे प्रस्तुत करना ;

घ. शपथपत्र पर सबूत पाना ;

च. गवाहों की जांच या स्थानीय जांच के लिए आयोग की तरफ से सूचना देना

छ. किसी भी सम्पत्ति या चीज़ की जांच करना जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना हो ;

ज. किसी भी अदालत, प्राधिकरण या दफ्तर से कोई भी सार्वजनिक रेकार्ड या उसकी कॉपी की मांग करना ;
झ. अन्य कोई मामला जो निर्धारित हो।

(6). धारा 6 की उपधारा 1 के उपनियम सी के तहत सिफारिश मिलने के बाद सरकार, जितना जल्दी संभव हो सके, किसी इलाके को या फसल को आपदा प्रभावित इलाका या आपदा प्रभावित फसल घोषित कर देगी।

7. प्रस्तुत अधिनियम के तहत किसी भी किस्म की कर्जे की राहत मांग करनेवाला किसान आयोग के सामने निध ार्रित फार्म पर आवेदन करेगा।

8. (1). आयोग अपनी बैठकों को ऐसे स्थानों पर और ऐसे वक्त पर तय करेगा जिसे वह निर्धारित कर सकेः
बशर्ते आयोग अपनी बैठकों को संबंधित जिलों/आपदा प्रभावित क्षेत्र के तौर पर घोषित जिलों में आयोजित करेगा ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े मसलों पर गौर किया जा सके।
(2). आयोग की बैठक का कोरम पांच होगा।
(3). कुछ मामलों में, आयोग यदि उचित समझे तो वह जिलों में, दो या दो से अधिक सदस्य की पीठ बनाकर सुनवायी कर सकता है
लेकिन प्रतिबंध यह है कि इस तरह गठित पीठ में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम एक सदस्य अवश्य होगा;
आगे प्रतिबंध यह है कि आयोग द्वारा गठित पीठ से उस पीठ का कोरम पूरे सदस्यों की संख्या का होगा अथवा दो सदस्य का जो कि कम हो।

9. (1). प्रस्तुत अधिनियम में या अन्य किसी कानून या अनुबंध या किसी अन्य कानून या अनुबंध या किसी अदालत या अधिकरण के किसी आदेश या आज्ञप्ति में जो भी कहा गया हो, आयोग द्वारा प्राधिकृत सदस्य बातचीत की शुरूआत कर सकता है ताकि
क. कम अवधि के कर्जो को मध्यम अवधि के कर्जों में और मध्यम अवधि के कर्जों को लम्बी दूरी के कर्जों में तब्दील किया जा सके, जो उन कर्जों के सम्बन्ध में लागू होता हो जिसमें किसान द्वारा धारा 6 की उपधारा 1 के नियम सी के तहत व्यावसायिक बैंकों या अन्य शेडयूल्ड बैंकों से हासिल किया गया हो, या
ख. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत नॉनपरफार्मिंग एसेटस की श्रेणी में शुमार किए जा सकनेवाले कृषिगत कर्जों की एकमुश्त निपटारे के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें, या
ग. रिजर्व बैंक आफ इंडिया और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेण्ट के साथ सामंजस्य बिठाते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा तयशुदा नियमों के तहत दंडात्मक सूद को माफ किया जा सके।

10. (1). प्रस्तुत अधिनियम में या अन्य किसी कानून या अनुबंध या किसी अदालत या अधिकरण के किसी आदेश या आज्ञप्ति में जो भी कहा गया हो, आयोग किसान द्वारा लिए गए कर्जे को वापस पाने के लिए कर्जा लौटाने की तारीख में बदलाव कर सकता है जिसका जिक्र धारा 6 की उपधारा 1 के उपनियम सी में किया गया है। इसके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्र, धारा 7 के अन्तर्गत आपदा प्रभावित फसल या आपदा प्रभावित किसान जिसने सरकार द्वारा अधिसूचित किसी वित्तीय संस्थान से कर्ज लिया हो शामिल हैं।
(2). जहां कर्ज की तारीख में संशोधन उपधारा 1 के तहत किया गया हो, वहां किसान आयोग द्वारा निध ार्रित कालावधि के दरमियान इस कर्जे को वित्तीय संस्थान को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें सूद का बोझ सरकार वहन करेगी;
बशर्ते आयोग, किसान की दरखास्त/आवेदन मिलने के बाद उसके कारणों को रेकॉर्ड करते हुए, इस भुगतान की तारीख को संशोधित कर सकता है ; और
किसान आयोग द्वारा निर्धारित नयी तारीख के पहले उन्हें लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हो।

11. कर्जे की वसूली के लिए किसी भी किस्म का मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, या कर्जे के सन्दर्भ में किसी आज्ञप्ति/हुकमनामे पर अमल करने की अनुमति ऐसे किसान के सन्दर्भ में नहीं मिलेगी जिसका जिक्र धारा 6

की उपधारा 1 में आया है और ऐसे किसान के खिलाफ किसी भी दीवाणी अदालत या ट्रिब्युनल में या अन्य किसी प्राधिकारी के यहां कोईभी अपील, पुनर्विचार याचिका या दरख्वास्त किसी ऐसी आज्ञप्ति या आदेश को लेकर नहीं की जा सकेगी या न दरख्वास्त प्रस्तुत की जा सकेगी। और ऐसे तमाम मुकदमे, आवेदन/दरख्वास्त, अपील और याचिकाएं जो ऐसे किसी किसान के खिलाफ तब दायर हुई हैं जब जिला या उसके हिस्से को आपदा प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया गया हो वे तब तक स्थगित रहेंगी जब तक आयोग अनुशंसा न करे।

12. (1). किसी भी कानून या अनुबंध या किसी अदालत या ट्रिब्युनल/अधिकरण के किसी अन्य आज्ञप्ति या आदेश में जो भी कहा गया हो, धारा 6 की उपधारा 1 में वर्णित किसान अपने कर्जे को मूल राशि पर सुविधाजनक किस्तों में लौटा सकता है जिसके ब्याज का बोझ सरकार वहन करेगी; आयोग द्वारा निर्देशित तरीके के तहत अंजाम दिए गए इस भुगतान के बाद समूचे कर्जे को समाप्त माना जा सकेगा।

13. प्रस्तुत विधेयक में या अन्य किसी कानून या अनुबंध या किसी अन्य अदालत या अधिकरण के किसी आदेश या आज्ञप्ति में जो भी कहा गया हो, अगर किसान ने उसके द्वारा लिए गए कर्जे की मूल रकम लौटा दी है और संस्थागत कर्जदाता के अलावा ऋणदाता को उतनी ही राशि लौटा दी है, तो यह माना जाएगा कि उपरोक्त किसान ने अपने कर्जे से पूरी तरह मुक्ति पा ली है।

14. (1). आयोग उसके द्वारा पारित अवॉर्ड, उसकी बैठकों/मीटिंगों की कार्यवाही रिपोर्टों या ऐसी ही अन्य सामग्री को अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित करेगा ;
(2). आयोग उपरोक्त अधिनियम के तहत उस वर्ष के अपने कामकाज की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे वह सरकार को तयशुदा तारीख के पहले या उस दिन आवश्यक रूप में पेश करेगा।
(3). उपधारा 2 के तहत आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत सालाना रिपोर्ट को जितना जल्दी हो सके या सरकार को जैसे भी मिले, संसद के समक्ष पेश किया जाएगा।

15. (1). आयोग उचित तरीकों से लेखाजोखा और अन्य सम्बधित रेकार्ड रखेगा और जिस रूप में भी उसे प्रस्तावित किया गया हो, खातों का सालाना रेकार्ड तैयार करेगा।
(2). आयोग के खातों का सालाना ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट की गयी रिपोर्ट को विधायी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय 4
केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां

16. सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत तत्काल सहायता हेतु आवश्यक तथा सालाना आधार पर भी इस आयोग द्वारा पारित एवॉर्ड और जारी आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को अलग रखेगी या खच करेगी।

17. सरकार यह अधिसूचना जारी करेगी कि कुछ कर्जों से सम्बधित परिसम्पत्ति की कुछ श्रेणियां अधिग्रहण या नीलामी से मुक्त हैं और फसल के लिए हासिल कर्जों पर दंडात्मक सूद प्रतिबंधित है।

18. सरकार राज्य सरकारों के लिए एक मॉडल अधिनियम का निर्माण करेगी, वह राज्य स्तर पर '''किसान ऋण सहायता आयोगों का निर्माण करेगी ताकि ऋण राहत के सभी अतिरिक्त मसलों का निपटारा किया जा सके।

19. सरकार उधार देने की प्रक्रिया को सुधार करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक प्रमुखता से छोटे एवं मझोले किसानों एवं वास्तविक खेती करने वाले किसानों, महिलाओं, बटाईदारों, साझीदारों एवं आदिवासी किसानों को उधाद दे।

20. सरकार पर्याप्त एवं प्रभावशाली आपदा राहत एवं फसल बीमा योजना लागू करेगी ताकि अकाल के समय जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, असमय बारिश, ओला एवं कीड़ों के प्रकोप की वजह से किसान कर्ज में न फंसे।

21. सरकार बड़े पैमाने पर मौसम के अनुकूल कम लागत वाली खेती को बढ़ावा देती ताकि किसानों की कर्ज में संलिप्तता घटायी जा सके।

अध्याय 5

विविध

22. इस अधिनियम के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम या दिया गया कोई आदेश प्रभावी अन्य कानूनों पर होगा भले किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा बने किसी अन्य अधि ानियम या इस अधिनियम के अलावा बने किसी अन्य कानून के तहत कोई असंगत बात सामने आती हो।

23. किसी भी दीवाणी अदालत को प्रस्तुत अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी ऐसे मसले पर या उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आनेवाले किसीभी प्रश्न का समाधान करने, तय करने या उससे निपटने का अधिकार होगा जिनका समाधान करने, उनको तय करने या उनपर कार्रवाई करने का अख्तियार आयोग या सरकार के पास है : बशर्ते इस धारा के अन्तर्गत आनेवाला कोईभी मसला धारा 6 की उपधारा 5 के तहत अमल में लायी जानेवाली कार्रवाइयों में लागू नहीं होता हो।

24. आयोग का हर सदस्य जिसे धारा 4 की उपधारा 2 के तहत नामांकित किया गया हो और उपधारा 6 के अन्तर्गत नामांकित सचिव तथा अन्य स्टाफ को भारतीय दंड विधान 1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45 की ध ारा 21 के अन्तर्गत जनसेवक समझा जाएगा।

25. आयोग के किसी सदस्य या सदस्य या अन्य किसी अधिकारी के खिलाफ किसी भी ऐसे मसले पर कानूनी कार्रवाई या मुकदमा नहीं किया जा सकता जिसे अधिनियम के अन्तर्गत अच्छे इरादे से अंजाम दिया गया हो।

26. (1). अगर इस अधिनियम के प्रावधानों पर अमल करने में किसी किस्म की दिक्कत आती है, तो यह सर. कार, आदेशानुसार, जैसे की अवसर की जरूरत हो, ऐसा कदम उठा सकती है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिसे वह कठिनाई दूर करने के मकसद के लिए जरूरी समझते है; बशर्ते इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा कोई आदेश जारी न किया गया हो।
(2). इस धारा के तहत जारी हर आदेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

27. (1). सरकार चाहे तो गैज़ट की अधिसूचना के जरिए, अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने के मकसद से नियम बना सकती है
(2). इस धारा के तहत बनाए गए हर नियम को, जितना जल्दी संभव हो सके, संसद के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जबकि वह चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए एकत्रित हो – जो एक सत्र में भी मुमकिन हो या दो आनुक्रमिक सत्रों में संभव हो – और अगर सत्र की समाप्ति के पहले जिसमें उसे पेश किया गया हो या इसके बाद वाले सत्र में, संसद अगर नियमों में बदलाव करती है या तय करती है कि नियम नहीं बनाए जाएंगे, तब यह नियम या तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या बिल्कुल निष्प्रभावी होगा, जैसी कि स्थिति हो। निश्चित ही ऐसा कोई भी संशोधन या समाप्ति का इस नियम के तहत पहले अंजाम दी गयी कार्रवाई पर कोई असर नहीं होगा।

सौंपे गए विधेयक के सम्बन्ध में ज्ञापन

1. धारा 3 की उपधारा 6 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह कर्जे की अदलाबदली के तहत उत्पन्न ऐसे बैंक के कर्जो की माफी को अमल में ला सके ।

2. विधेयक की धारा 4 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह राष्ट्रीय किसान कज. र्/ऋण राहत आयोग का गठन करे।

3. विधेयक की धारा 5 की उपधारा 1 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह जरूरत पड़े तो आयोग की शर्तों का विस्तार करे।

4. धारा 5 की उपधारा 4 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपने सदस्यों को हटा दे।

5. विधेयक की धारा 7 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह आपदा प्रभावित इलाकों या फसलों का ऐलान करे।

6. धारा 26 की उपधारा 1 केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश पारित करे।

7. धारा 27 की उपधारा 1 इससे सम्बधित है कि किन मसलों पर नियम बनाए जा सकते हैं या अधिसूचना जारी की जा सकती है जो सारतः विवरण या प्रक्रिया के मामले है। इसलिए विधायी शक्ति को सुपुर्द करना एक सामान्य स्वरूप का मसला है।

विधेयक क्रमांक --- 2017

किसानों को कृषि उत्पाद के आश्वासित मूल्य का अधिकार विधेयक, 2017

कृषि उपज लाभकारी मूल्य गारंटी बिल

कृषि उत्पाद की बिक्री पर आश्वासित न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार सभी किसानों को देने हेतु एवं इसके साथ जुड़े मामलों के साथ या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की प्राप्ति के लिए आजीविका के अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है;

और चूंकि, संविधान का अनुछेद 38(2) यह बताता है कि राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या विभिन्न व्यवसायों में लगे लागों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा; और चूंकि, संविधान के अनुछेद 39(अ) का प्रावधान है की राज्य पुरुष और महिला नागरिकों के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीतियों को निर्देशित करेगा;

और चूंकि, किसानों को, अच्छे उत्पादन, अपने निवेश और मेहनत के बावजूद पर्याप्त आमदनी नहीं होती, जिस कारण उनकी हालत निरंतर बिगड़ती जा रही है और दसियों हजारों किसान हर वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं;

और चूंकि, उत्पाद के लिए प्राप्त मूल्य किसानों को उनके लागत के ऊपर पर्याप्त प्रतिफल नहीं दिला रहा है जिससे घरों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की जा सके;

और चूंकि, कृषि में पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित करना देश की खाघ सुरक्षा और खाघ स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है;

और चूंकि, किसानों की अवस्था को बेहतर और देश की खाघ स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें कृषि उत्पाद का आश्वासित न्यूनतम मूल्य का अधिकार देना महत्वपूर्ण है;

अब, इसलिए, संसद द्वारा, भारतीय गणतंत्र के अडसठवें वर्ष में, इसे निम्नलिखितानुसार अधिनियमित किया जाये :

विधेयक क्रमांक --- 2017

किसानों को कृषि उत्पाद के आश्वासित मूल्य का अधिकार विधेयक, 2017

कृषि उत्पाद की बिक्री पर आश्वासित न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने का अधिकार सभी किसानों को देने हेतु एवं इसके साथ जुड़े मामलों के साथ या इसके प्रासंगिक मामलों के लिए एक विधेयक

संसद द्वारा, भारतीय गणतंत्र के अडसठवें वर्ष में, इसे निम्नलिखितानुसार अधिनियमित किया जाये :

अध्याय 1

प्रारंभिक– परिभाषाएं और व्याख्याएं

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को किसानों को कृषि उत्पाद के आश्वासित मूल्य का अधिकार विधेयक, 2017 कहा जाये।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) इसका संपूर्ण भारत में लागु किया जाये।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कृषि'' में बागवानी, खेतीय औषधीय पौधों, फसलों और अंतर–फसलों, फलों, सब्जियों, दूध का उत्पादन, लघु वन उपज को इकट्ठा करना, फूल, घास, चारा घास और पेड़ या मिट्टी में खेती की किसी भी तरह की खेती का आयोजन, नर्सरी, मछली पालन, मछली सीपी का पालन, मधुमक्खियों, रेशम कीट, मुर्गी पालन, बत्तख, मवेशी या सुअर सहित सभी तरह का पशुपालन और कृषि, पशुओं की गतिविधियों या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग शामिल है;

(ख) ''कृषि विशेषज्ञ'' में अकादमिक योग्यता
और सिद्ध अकादमिक रिकार्ड वाला व्यक्ति शामिल है;

(ग) ''आश्वासित न्यूनतम मूल्य'' एक निश्चित कृषि वस्तु के उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन वाली कीमत है। राज्य स्तर पर इसमें राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस जो की केंद्र सरकार द्वारा घोषित आश्वासित न्यूनतम मूल्य के ऊपर और उससे अधिक बोनस है वह शामिल हो सकता है;

(घ) ''आयोग'' का मतलब धारा 4 के तहत गठित केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग;

(ङ) ''डेफिसिट पेमेंट'' का अर्थ है एक किसान द्वारा प्राप्त कीमत और आश्वश्त लाभकारी मूल्य में अंतर, जो कि इस अधिनियम के धारा 13 के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में किसान को दिया जाएगा।

(च) ''किसान'' का अर्थ है एक व्यक्ति जो फसल उगाने के आर्थिक और / या आजीविका की गतिविधियों में सक्रिय है, या भूमि स्वामित्व के साथ या बिना अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है, और इसमें सभी कृषि परिचालन धारकों, किसानों, कृषि मजदूरों, बटाईदार या किरायदार किसान, मुर्गीपालक, पशुपालक, मछुआरे, मधुमक्खी पालक, चरवाहे, गैर–कार्पोरेट बागान मालिकों और बागान मजदूरों के साथ–साथ वन–उपज–संग्रहकर्ता भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से स्वामित्व, या पट्टे पर–भूमि पर खेती करने वाले स्वयं सहायता समूह भी शामिल हैं।

(छ) ''सरकार'' का अर्थ है केंद्र सरकार;

(ज) ''बाजार'' का अर्थ विनियमित बाजारों के साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा किसानों, दूध संग्रह केन्द्रों से कृषि उत्पाद खरीदने हेतु ठेका खेती की व्यवस्था, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा खोला गया खरीद केंद्र और पंचायत सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित अन्य बाजार व यार्ड शामिल हैं;

(झ) ''सदस्य'' का मतलब आयोग का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष शामिल हैं;

(ञ) ''निर्धारित'' का मतलब इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित है;

(ट) ''राज्य आयोग'' का अर्थ है इस अधिनियम की धारा (9) के अनुसार राज्य स्तर पर स्थापित आयोग;

(ठ) ''व्यापारी'' का मतलब ऐसे व्यक्ति या किसी विनियमित संस्था में एकमात्र स्वामित्व, संयुक्त साझेदारी, सार्वजनिक क्षेत्र या कार्पोरेट इकाई से है, जो किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदते हैं;

अध्याय 2

सभी कृषि सामान का आश्वासित न्यूनतम मूल्य

3. (1) हर किसान को कृषि सामान के लिए आश्वासित न्यूनतम मूल्य का अधिकार है; — न्यूनतम मूल्य के लिए किसानों का अधिकार

(2) सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के माध्यम से, इस अधिनियम की अनुसूची के तहत परिभाषित किसानों द्वारा उत्पादित सभी कृषि वस्तुओं के उत्पादन की लागत के अनुमान के लिए मजबूत, सटीक व्यवस्था स्थापित करेगी, बशर्ते कि; — उत्पादन लागत की व्यापक

(क) लागत का अनुमान व्यापक होगा जिसमे सभी भुगतान किए गए खर्चो, भूमि के किराए सहित सभी इम्पयूटेड लागत, कुशल मजदूरी दरों पर परिवार के श्रम और प्रबंधकीय लागतों की गणना होगी,

(ख) अनुमान में कमियों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और सुधार लागू किए जाएंगे;

(ग) उन वस्तुओं के लिए जहां लागत अनुमान की प्रणाली मौजूद नहीं है, सरकार ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगी जिससे समय पर आंकड़ों का संग्रह हो सके;

(3) सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर आश्वासित न्यूनतम मूल्य का निर्धारण
आश्वासित न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा,
बशर्ते आश्वासित न्यूनतम मूल्य धारा 3 (2) में निर्धारित उत्पादन की व्यापक लागत से कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन प्रदान करेगा;

(4) आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के बाद जल्द से जल्द केंद्र सरकार सभी कृषि वस्तुओं की न्यूनतम कीमत घोषित करेगी; — केंद्र सरकार द्वारा आश्वासित न्यूनतम मूल्य की घोषणा

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार द्वारा, आश्वासित न्यूनतम मूल्य, आगामी खरीफ उत्पादन सत्र के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च या उससे पहले और आगामी रबी उत्पादन सत्र के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे।

(5) राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित आश्वासित न्यूनतम मूल्य के अलावा, बोनस घोषित करने पर कोई मनाही नहीं होगी। — बोनस घोषित करने के लिए राज्यों की शक्तियां

अध्याय 3

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी)

4. (1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद इस अधिनियम द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने और जिम्मेदारियों के निष्पादन करने के उद्देश्य से कृषि लागत और मूल्यों पर मौजूदा आयोग (सीएसीपी) को सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा रचना, उद्देश्य और प्रदत कार्य में परिवर्तन के बाद इस अधिनियम के दायरे में लाएगी। — सीएसीपी की पुनर्रचना

(2) आयोग को ग्यारह सदस्य तक बढ़ा दिया जायेगा, इसमें –

(क) एक कृषि अर्थशास्त्र विशेषज्ञ – अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

(ख) कृषि और किसानों के कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसानों के कल्याण विभाग से एक अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं) : सदस्य

(ग) किसानों के मुद्दों पर काम करने के सिद्ध रिकार्ड वाले या किसानों के यूनियनों के नेता सहित किसानों के पांच प्रतिनिधि – गैर सरकारी सदस्य

(घ) तीन कृषि विशेषज्ञ – गैर सरकारी सदस्य

(इ) कृषि, सहयोग और किसानों के कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी – सदस्य सचिव (पूर्णकालिक)

(3) अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायेंगे

(4) उपरोक्त नामांकन में, खासकर उपरोक्त धारा (4)2 (ग) और (घ) के तहत सदस्यों के नामांकन में रोटेशन के आधार पर सारे देश से न्यायसंगत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, खण्डीय प्रतिनिधित्व और हर लिंग से उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में

रखा जायेगा।

(5) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य उनके कार्यों के निर्वहन से संबंधित हितों के किसी भी टकराव का प्रतिनिधित्व नहीं करे।

(6) जैसा कि निर्धारित किया जाये उस तरीके से आयोग की सहायता के लिए उतने कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार करेगी।

(7) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, उप–खंड (6) में निर्दिष्ट सचिव और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

5. (1) आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा – आयोग की अवधि और सदस्यों की सेवा की शर्तें

बशर्ते, सरकार द्वारा यह अवधि बढाई जा सकती है;

(2) कोई सदस्य, सरकार के नाम, लिखित में अपना कार्य–त्याग सकता है

(3) उपधारा (2) के तहत आयोग के किसी भी सदस्य के इस्तीफे के कारण या अन्यथा उत्पन्न होने वाली रिक्ति इस अधिनियम की धारा (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी : बशर्ते कि नियुक्त व्यक्ति केवल उस व्यक्ति की अवधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा,

जसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है

(4) सरकार किसी भी सदस्य को हटा सकती है, अगर वह;

(क) अनिर्धारित दिवालिया/देनदार घोषित किया गया है –

(ख) शारीरिक या मानसिक विकलांगता की वजह से कार्य जारी रखने में असमर्थ हो जाता है।

(ग) सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मन का घोषित किया गया है;

(घ) एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो सरकार की राय में नैतिक अध ार्म या वित्तीय अनियमितताओं को शामिल करता है;

(ङ) सरकार की राय में उसने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरूपयोग किया जिससे उसका अपने पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के खिलाफ है. बशर्ते, कोई कार्यवाही करने से पहले, उस व्यक्ति के पक्ष को सुना जाना चाहिए।

(5) आयोग अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा।

(6) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों निर्धारित किया जायेगा।

6. (1) इस अधिनियम की उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, और विशेष रूप से; आयोग के अधिकार और कार्य

(क) उत्पादन की व्यापक लागत से कम से कम 50 प्रतिशत की न्यूनतम लाभ मार्जिन के निर्धारित फार्मूले के आधार पर सभी कृषि वस्तुओं के लिए आश्वासित न्यूनतम मूल्यों की सिफारिश करना।

(ख) किसानों के लिए लाभकारी और स्थिर मूल्य परिवेश को आश्वस्त करने वाले कदमों को सुझाना जिसमें मार्केटिंग संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार शामिल हैं;

(ग) देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों पर नजर रखना और इस बारे में सभी संबंधित एजेंसियों ध विभागों को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तत्काल सलाह भेजना।

(घ) आयोग से भारत सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों सहित सभी निर्यात–आयात नीतियों पर परामर्श लिया जायेगा ताकि आयोग अपनी सिफारिशें प्रदान कर सके और संबंधित मंत्रालय को संदर्भित मामले में निर्णय लेने के लिए सलाह दे सके ताकि घोषित न्यूनतम मूल्य पर न्यूनतम प्रतिकूल असर हो।

7. (1) आयोग लागत संबंधी अनुमानों, पारदर्शी कामकाज, और

आश्वासित न्यूनतम मूल्यों के आधार, बाजार मूल्य के रुझान, अपनी बैठकों के मिनट और अन्य सामग्री सहित सभी प्रासंगिक जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाएगी

(2) आयोग इस अधिनियम के तहत वर्ष के अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को निर्धारित तारीख में या उससे पहले निर्धारित फार्म में प्रस्तुत करेगा।

(3) उपरोक्त उप–धारा (2) के तहत सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट को सरकार द्वारा प्राप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

8. (1) आयोग उचित खातों और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड बनाए रखेगा और खातों के वार्षिक विवरणों को तैयार करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाये; लेखा और लेखा परीक्षा

(2) आयोग के खातों का लेखांकन वार्षिक होगा और लेखापरीक्षित रिपोर्ट को सरकार द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 4
कृषि मूल्यों पर राज्य आयोग

9. (1) राज्य सरकार कृषि मूल्यों पर राज्य आयोग की स्थापना करेगी और अगर सामान उद्देश्यों वाले कोई आयोग किसी राज्य में पहले से हैं तो मौजूदा आयोग को इस अधि ानियम के दायरे में लाया जाएगा; कृषि मूल्यों पर राज्य आयोगों की स्थापना

(2) कृषि मूल्यों पर राज्य आयोग का गठन सभी राज्यों में किया जाएगा जिसमें सात सदस्य होंगे, अर्थात –

(क) एक कृषि अर्थशास्त्र विशेषज्ञरु अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

(ख) कृषि/बागवानी/पशुपालन विभाग के अधिकारी – आधिकारिक सदस्य

(ग) किसानों के मुद्दों पर काम करने के सिद्ध रिकार्ड वाले या किसानों के यूनियनों के नेता सहित किसानों के तीन प्रतिनिधि – गैर सरकारी सदस्य

(घ) 1 कृषि विशेषज्ञ – गैर सरकारी सदस्य

(इ) विपणन विभाग के 1 अधिकारी (किसी भी नाम से ऐसा विभाग जो राज्य में मौजूद है) – सदस्य सचिव (पूर्णकालिक)

(3) अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त नामांकन में, खासकर उपरोक्त उप–धारा 2 (ग) और (घ) के तहत सदस्यों के नामांकन में रोटेशन के आधार पर सारे
राज्य से न्यायसंगत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, खण्डीय प्रतिनिधित्व और हर लिंग से उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जायेगा।

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यक्ष सहित कोई भी सदस्य उनके कार्यों के निर्वहन से संबंधित हितों के किसी भी टकराव का प्रतिनिधित्व नहीं करे।

(6) जैसा कि निर्धारित किया जाये उस तरीके से आयोग की सहायता के लिए उतने कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(7) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, उप–खंड (6) में निर्दिष्ट सचिव और अन्य कर्मचारी धारा 9(2)(क) के तहत अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

10. (1) राज्य आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा – राज्य आयोग की अवधि और सदस्यों की सेवा की शर्तें
बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसी अवधि बढ़ा सकती है, यदि आवश्यक समझाय

(2) कोई सदस्य, राज्य सरकार के नाम, लिखित में अपना कार्य–त्याग सकता है।

(3) उपधारा (2) के तहत राज्य आयोग के किसी भी सदस्य के इस्तीफे के कारण या अन्यथा उत्पन्न होने वाली रिक्ति इस अधिनियम की धारा (8) में निहित

प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी;
बशर्ते कि नियुक्त व्यक्ति केवल उस व्यक्ति की अवधि की शेष अवधि के लिए पद ध ारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है।
(4) राज्य सरकार किसी भी सदस्य को हटा सकती है, अगर वह –
(क) अनिर्धारित दिवालिया/देनदार घोषित किया गया है;
(ख) शारीरिक या मानसिक विकलांगता की वजह से कार्य जारी रखने में असमर्थ हो जाता है;
(ब) सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मन का घोषित किया गया है;
(ग) एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधर्म या वित्तीय अनियमितताओं को शामिल करता है;
(घ) राज्य सरकार की राय में उसने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरूपयोग किया जिससे उसका अपने पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के खिलाफ है . बशर्ते, कोई कार्यवाही करने से पहले, उस व्यक्ति के पक्ष को सुना जाना चाहिए।
(5) राज्य आयोग अपने कार्य के संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा।
(6) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित किया जायेगा।
वेतन और भत्ते, और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों, के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

कृषि मूल्यों पर राज्य आयोग के अधिकार और कार्य

11. (1) राज्य आयोग के पास ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, और विशेष रूप से –
(क) राज्य सरकार को अतिरिक्त कीमतों का सुझाव देना जो उस राज्य स्तर पर आश्वस्त लाभकारी मूल्य के रूप में तय किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित आष्वस्त लाभकारी मूल्य से ऊपर और उससे अधिक होगा। इस तरह की सिफारिश राज्य में उत्पादन की उच्च लागत या संतुलित कृषि विकास के लिए विशेष फसलों और वस्तुओं को उत्पादन प्रोत्साहित करने के अन्य नीतिगत विचारों को ध्यान में रख सकती है।
(ख) नियमित आधार पर विभिन्न बाजारों में मूल्य स्थिति पर नजर रखना, हस्तक्षेप के लिए सलाह देना और सरकार द्वारा किये गए हस्तक्षेप की प्रभावकारिता पर निगरानी रखना।
(ग) यदि किसी क्षेत्र / जिला / वस्तु के औसत मूल्य आष्वस्त लाभकारी मूल्य से नीचे गिर जाएं तो किसानों को डेफिसिट पेमेंट का आदेश देना और यह सुनिश्चित करना की किसानों को धारा 15 (3) में निर्दिष्ट शिकायत निवारण का सहारा न लेना पड़े।
(घ) इस अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विफलताओं की जांच करना, उनके ऊपर दंड की सिफारिश करना।
(ङ) संबंधित मामलों पर सीएसीपी को सुझाव देना।

अध्याय 5
स्वीकृत लाभकारी मूल्य का कार्यान्वयन

नीलामी एवं न्यूनतम मूल्य से कम कीमत की पेशकश पर रोक

12. (1) हर फसल के लिए नीलामी या पेशकश, ए.पी.एम.सी बाजारों सहित विभिन्न रूपों के सभी कृषि बाजारों में, आश्वासित न्यूनतम मूल्य से शुरू होगी और किसी भी नीलामी को इस कीमत से नीचे की कीमत देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
(2) कोई भी खरीदार, किसी भी अनुबंध खेती की व्यवस्था में खरीदार सहित आश्वासित लाभकारी मूल्य के नीचे किसी भी फसल को नहीं खरीदेगा और किसी भी खरीदार

जो आश्वासित लाभकारी मूल्य के नीचे किसी भी फसल को खरीदेगा वह अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम से बाहर खरीदारी करता है (विशेष रूप से किसी वस्तु के मौसमी फसल के बाद तिमाही के दौरान) तो उसे व्यपार से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा

खरीद केंद्र खोलने के लिए सरकार पर दायित्व

(3) जहाँ तक विकेन्द्रीकृत तरीके से संभव हो सरकार, खाद्य योजनाओं और निगमों के माध्यम से, सभी वस्तुओं के, आश्वासित न्यूनतम मूल्य या उससे ऊपर, पर्याप्त मात्रा की खरीद के लिए स्थानीय खरीद केंद्र खोलेगी ताकि किसानों के उत्पाद के लिए बाजार सुनिश्चित रहे;

समय पर और प्रभावी रूप से बाजार में हस्तक्षेप

(4) जब बाजार की कीमतें नीचे जा रही हो, तो सरकार सभी वस्तुओं में सही समय पर और प्रभावी बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करेगी, और आश्वासित न्यूनतम मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यय प्रदान करेगी;

वास्तविक लाभ असली किसानो के पास जाने के लिए

(5) सरकार किरायेदार किसानों और बटाईदारों सहित वास्तविक किसानों की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें आश्वासित लाभकारी मूल्य, खरीद और बाजार हस्तक्षेप का लाभ मिलेगा।

संकट की बिक्री को रोकने के लिए अन्य उपाय

(6) वित्तीय मजबूरी के कारण किसानों को कम लागत से उत्पाद बेचने से रोकने के लिए प्रभावी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार जिम्मेदार होगी, जिसमें भंडारण सुविधाओं तक पहुंच में भारी वृद्धि शामिल है ताकि सभी किसान अपने उत्पाद का भंडार कर सके और उसे अच्छी बिक्री के समय बेच सकें। सरकार गोदाम की रसीद जैसी योजनाएं भी लागू करेगी जो किसानों को आश्वासित लाभकारी मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी अधिक हो) के कम से कम 75 प्रतिशत फाइनेंस कराने में सक्षम बनाती हैं;

एफपीओ पर निवेश

(7) सरकार निवेश करेगी ताकि किसान उत्पादक संगठन पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय पूंजी के साथ के साथ संगठित होकर अपने संसाधित, मूल्यवर्धित उपज सहित अपने विपणन उद्यम चला सकें;

इनपुट लागत को कम करने और नियंत्रित करने के उपाय

(8) सरकार सब्सिडी और योजनाओं के माध्यम से इनपुट की लागत को कम करके और कृषि की कम लागत वाली टिकाऊ विधियों को बढ़ावा देने के द्वारा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सभी उपायों को लागू करेगी।

अध्याय 6

कम भुगतान और मुआवजा के लिए शिकायत निवारण

घाटे के भुगतान के लिए पात्रता

13. (1) हर किसान जो अपने कृषि वस्तुओं की बिक्री के लिए आश्वासित न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता है, परिभाषित डेफिसिट पेमेंट का हकदार हैं, जो किसान द्वारा प्राप्त मूल्य और आश्वासित न्यूनतम मूल्य के बीच का अंतर है।

जिला स्तर शिकायत निवारण समिति और डी.बी.टी के माध्यम से घाटे के भुगतान के लिए आदेश

(2) जिन किसानों को आश्वासित न्यूनतम मूल्य प्राप्त नहीं होता है उन किसानों से शिकायतों को प्राप्त कर उनका निवारण करने के लिए कृषि बिक्री विभाग के प्रशासनिक निरीक्षण के तहत जिला स्तर पर एक 3 सदस्यीय शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी।

(क) इस समिति में किसानों के एक प्रतिनिधि के अलावा एक कृषि और विपणन विभाग के एक-एक जिला स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) यह समिति साधारण सत्यापन प्रक्रिया का पालन करेगी जिसमे किसानों को दी जाने वाली राशि तय की जाएगी और किसी किसान से आवेदन प्राप्त होने

के एक महीने के अंदर उसके डेफिसिट पेमेंट भुगतान के निर्देश जारी करेगी।

(3) यदि किसी विशेष वस्तु का औसत बाजार मूल्य आश्वासित न्यूनतम मूल्य से नीचे है तो राज्य सीएसीपी ऐसे सभी किसानों को, जिन्होंने वह वस्तु विशेष बेचा, डेफिसिट पेमेंट भुगतान सुझा सकती है।

(4) यदि किसी किसान को उपरोक्त के अनुसार सहायता और मुआवजा नहीं मिलता है, तो किसान शिकायत निवारण के लिए राज्य आयोग से संपर्क कर सकता है। देरी के लिए मुआवजा

अध्याय 7

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

14. (1) सरकार ऐसे कृषि वस्तुओं के लागत के निर्धारण के जरुरी आंकड़े एकत्र करने के लिए जिसके लिए इस समय पर आंकड़े मौजूद नहीं है पर्याप्त धन का इंतजाम और खर्च करेगी ताकि सभी वस्तुओं के लागतों का व्यापक आकलन करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हों और आंकड़े उपलब्ध करने हेतु संरचना खड़ी की जा सके। केंद्र सरकार के दायित्व

(2) सरकार, सी.ए.सी.पी के प्रभावी कार्य संचालन के लिए पर्याप्त प्राथमिक वित्तीय प्रबंध करेगी जिसमें कमीशन किए गए प्राथमिक अनुसंधान और आयोग के अन्य काम शामिल हैं;

(3) सरकार ''आश्वस्त बाजार मूल्य निधि'' स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंध करेगी ताकि प्रभावी बाजार हस्तक्षेप किया जा सके. इसका शुरुआती कोष 1,00,000/- करोड़ रुपये का होगा। यह निधि खाद्य योजनाओं के तहत अनाज की खरीद के लिए विभिन्न एजेंसियों के लिए किये गए वित्तीय प्रबंध के अतिरिक्त है।

(क) इस तरह के फंड का उपयोग घटे हुए भुगतान को पूरा करने के लिए समिति के लिखित आदेश पर के एक महीने में उसी आदेश के अनुसार जिला स्तर समितियों द्वारा आदेशानुसार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जावे।

(4) राज्य सरकारें पर्याप्त वित्तीय प्रबंध के साथ अपनी अलग निधि स्थापित करेगी ताकि सीएसीपी के सुझाव और केंद्र सरकार की आशवस्त न्यूनतम कीमतों की घोषणा के ऊपर किसी भी एएमपी को तय करने के दायित्वों को पूरा कर सकें।

अध्याय 8

अपराध और जुर्माना

15. (1) इस अधिनियम की धारा 12(1) व (2) का उल्लंघन करने वाले कोई भी व्यापारी जो की आष्वस्त लाभकारी मूल्य के नीचे खरीदता पाया गया उसको एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत अपराध और दंड

(2) किसी व्यापारी द्वारा दूसरी बार उल्लंधन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(3) तीसरी बार उल्लंधन पर तीन लाख रुपए का जुर्माना होगा और सभी गैर-सरकारी व्यापारियों पर भविष्य में व्यापार करने से रोक लगा दी जाएगी;

(4) राज्य आयोग द्वारा दोषी पाए गए ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो बिना किसी कारण के प्रभावी निगरानी नहीं करते पाए गएय जो कि आष्वस्त लाभकारी मूल्य के नीचे खरीदने वाले व्यापारी पर कार्यवाही करने में विफल रहे य जो प्रभावी बाजार हस्तक्षेप में कमी के जिम्मेदार रहेय इस अधिनियम की धारा 11(1)घ में उल्लिखित डेफिसिट पेमेंट और मुआवजा प्रदान करने में विफल रहे या अपने दायित्व का निर्वहन की जान-बूझ के उपेक्षा की वो कम से कम रु0 50,000/- के दंड के भागी होंगे।

अध्याय 9

विविध

16. इस अधिनियम के प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए कोई भी नियम या आदेश अधिनियम का अधि

इस अधिनियम के अलावा किसी भी कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर लागू नियम से कोई भी विसंगति के बावजूद प्रभावी होंगे। ाभावी प्रभाव

17. धारा 4 के उप–धारा (2) और धारा 9 की उपधारा (2) के तहत नामित आयोग के प्रत्येक सदस्य और धारा 4 व 9 की उपधारा (6) के तहत नियुक्त सचिव और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।

18. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश के द्वारा, वो कोई भी कदम उठा सकती है जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार आवश्यक समझती हो और जो इस अधिनियम के प्रावध ानों के साथ असंगत नहीं हो। कठिनाइयों को हटाने की शक्ति
(2) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को संसद के समक्ष रखा जायेगा।

19. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है। नयम बनाने के लिए अधिकार
(2) इस धारा के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाने के बाद यथाशीघ्र संसद के समक्ष पेश किया जायेगा जब संसद चौदह दिनों के सत्र में हो चाहे एक सत्र या एक के बाद एक सत्र और यदि उस सत्र के समाप्ति के पहले जिसमे संसद के समक्ष नियम को पेश किया गया था या उसके अगले सत्र में संसद नियम में कोई संशोध ान करता है या तय करता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद नियम केवल इस तरह के संशोधित रूप में लागू होगा या अप्रभावी होगा, जैसा कि मामला होय यद्यपि कोई भी संशोधन या विरूपण उस नियम के अंतर्गत पहले किए गए कुछ भी की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

All India Kisan Sangharsh Samanvya Samiti (AIKSSC)
W 127, Greater Kailash II, New Delhi 110048
Email: aikscc1@gmail.com